

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/माध्य/अ-3/बोर्ड परीक्षा निर्देश/2016/

दिनांक- 12.4.16

:: परिपत्र ::

इस कार्यालय के समसख्यक पत्र दिनांक : 27.02.2016 द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा - 2016 के सुचारु संचालन एवं समुचित व्यवस्थाओं हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए थे । बोर्ड परीक्षा हेतु गठित विभिन्न स्तर के उड़नदस्ता प्रभारियों, विभागीय निरीक्षण अधिकारियों तथा अन्य स्रोतों से मिले पृष्ठ पोषण के आधार पर बोर्ड परीक्षा के आयोजन हेतु विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राधीक्षक/जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर लगाई जाने वाली वीक्षक ड्यूटियों में अनियमितता एवं बिना आवश्यकता के लगाई जाने वाली वीक्षक ड्यूटियों के कारण परीक्षा अवधि में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था बाधित होने संबंधी बातें सामने आई हैं । बोर्ड परीक्षा में निष्फल प्रयोजनार्थ लगाई जाने वाली वीक्षक ड्यूटियों की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण तथा परीक्षा अवधि में राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थी हितार्थ शिक्षण कार्य के निर्विघ्न एवं सुचारु संचालन हेतु भविष्य में बोर्ड परीक्षा आयोजन के सबंध में निम्नांकित विवरणानुसार स्थाई निर्देश प्रदान किए जाते हैं :-

1. जिस विद्यालय में बोर्ड का परीक्षा केन्द्र है उस विद्यालय के एक शिक्षक को छोड़कर (जो उस विद्यालय के परीक्षार्थी विद्यार्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर एस्कॉर्ट्स के रूप में नियुक्त किया जाता है) अन्य किसी भी शिक्षक को अन्यत्र परीक्षा केन्द्र पर वीक्षक ड्यूटी हेतु नहीं लगाया जाए ।
2. परीक्षा केन्द्र वाले विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों की वीक्षक के रूप में ड्यूटी लगाई जाए, बशर्ते कि किसी व्यक्ति विशेष को तात्कालिक कारणों (रक्त संबंधी के उक्त केन्द्र पर परीक्षार्थी होने अथवा विषयाध्यापक से संबंधित विषय की परीक्षा दिवस को अथवा अन्य किसी कारण) से वीक्षण कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।
3. वीक्षण ड्यूटी से शेष शिक्षकों हेतु संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय की बोर्ड कक्षाओं के अतिरिक्त कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु परीक्षा समाप्ति के उपरांत नियमित कक्षा शिक्षण/उपचारात्मक शिक्षण (रेमेडियल टीचिंग) की व्यवस्था समय प्रबंधन करते हुए सुनिश्चित की जाए, जिससे कि विद्यार्थियों का नियमित शिक्षण कार्य एवं अभ्यास स्थानीय परीक्षाओं के आयोजन तक जारी रखा जा सके । वीक्षण कार्य एवं शिक्षण कार्य, दोनों हेतु विद्यालय के समस्त शिक्षकों की ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगाई जाए ।
4. ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में स्थित किसी भी बोर्ड परीक्षा केन्द्र पर किसी भी स्थिति में वीक्षक ड्यूटी पर नहीं लगाया जाए ।
5. प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों की ड्यूटी यथासंभव माध्यमिक शिक्षा के परीक्षा केन्द्रों पर नहीं लगाई जाए ।
6. **वीक्षक ड्यूटी अभिलेख संधारण:** - बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी के नाम से अनियमितता की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त केन्द्राधीक्षकों को स्पष्ट हिदायत प्रदान की जाती है कि वीक्षक ड्यूटी से संबंधित रजिस्टर का पृथक् से संधारण करते हुए प्रति दिवस वीक्षक ड्यूटी करने वाले शिक्षकों की प्रविष्टि उक्त रजिस्टर में

आवश्यक रूप से करें। इसी प्रकार समस्त वीक्षकों से परीक्षा दिवस से पहले पूर्व सूचनाार्थ हस्ताक्षर करवा लिए जाए तथा परीक्षा दिवस को वीक्षक ड्यूटी पर उपस्थिति स्वरूप भी हस्ताक्षर करवाए जाएं। केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र पर आने वाले समस्त उड़नदस्ता प्रभारियों/विभागीय निरीक्षण अधिकारियों को परीक्षा संबंधी अन्य अभिलेखों के साथ उक्त वीक्षण ड्यूटी रजिस्टर का अवलोकन करवाते हुए हस्ताक्षर करवाएंगे। केन्द्राधीक्षक उक्त वीक्षक ड्यूटी रजिस्टर में अंकित शिक्षकों के अलावा अन्य किसी भी शिक्षक की किसी भी स्थिति में बोर्ड परीक्षा प्रयोजनार्थ उपस्थिति प्रमाणित नहीं करेंगे। बोर्ड परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करने वाले समस्त उड़नदस्ता प्रभारियों तथा विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे बोर्ड परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान वीक्षक ड्यूटी रजिस्टर का आवश्यक रूप से अवलोकन करते हुए इस तथ्य का विश्लेषण करें कि केन्द्राधीक्षक द्वारा वीक्षक ड्यूटी हेतु नियोजित शिक्षकों की व्यवस्था आवश्यकतानुरूप ही की गई है अथवा नहीं। केन्द्राधीक्षक द्वारा निर्देशों के विपरीत कार्यवाही पाई जाने की अवस्था में उक्त तथ्य का खुलासा निरीक्षण रिपोर्ट में करते हुए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी अनियमितता पर तत्काल प्रसंज्ञान लिया जाकर संबंधित के विरुद्ध सक्षम स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। साथ ही संबंधित परीक्षा केन्द्र / विद्यालय में व्यवस्था दुरुस्तीकरण की कार्यवाही भी तत्काल सुनिश्चित की जाएगी। बोर्ड प्रशासन द्वारा उड़नदस्ता प्रभारियों को प्रदत्त दिशा निर्देशों में उपर्युक्तानुसार वर्णित निर्देशों का समावेशन भविष्य में आवश्यक रूप से किया जाए।

7. **जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की दायित्वबद्धता** :- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा राज्य में सबसे बड़ी सार्वजनिक परीक्षा है। इसके सफलतापूर्वक संचालन हेतु शिक्षा विभाग की महती जिम्मेदारी है। उक्त परीक्षा के सुचारु संचालन हेतु शासन स्तर से जिलास्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन किया जाता है, जिसमें जिला कलेक्टर अध्यक्ष एवं जिला पुलिस अधीक्षक सह अध्यक्ष होते हैं तथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सदस्य राक्षिव के रूप में सम्पूर्ण जिले में परीक्षा के सुचारु एवं सफल संचालन हेतु प्रथमतः जिम्मेदार होते हैं। उक्तानुरूप बोर्ड परीक्षा में वीक्षक ड्यूटी के नाम पर मानवीय सराधानों के दुरुपयोग को रोके जाने तथा उक्त परीक्षा के दौरान क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा के साथ - साथ शिक्षण व्यवस्था के भी सुचारु संचालन हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। चूंकि जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/माध्यमिक प्रथम) परीक्षा आयोजन संबंधी क्रियाकलापों / गतिविधियों के समयबद्ध क्रियान्वन हेतु बोर्ड कार्यालय के सीधे सम्पर्क में होते हैं, अतः बोर्ड परीक्षा के दौरान वीक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने से संबंधित कार्य के सुसंगत एवं आवश्यकतानुरूप निष्पादन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर एवं केन्द्राधीक्षकों से निम्नांकित विवरणानुसार कार्य सम्पादन अपेक्षित है :-

- i. बोर्ड परीक्षाओं के प्रारम्भ होने की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व सम्पूर्ण जिले के बोर्ड परीक्षा केन्द्रों से संबंधित सम्पूर्ण विवरण/ सामग्री

- बोर्ड कार्यालय से समुचित समन्वय रखते हुए प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
- ii. कार्यालय में कार्यरत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) को उक्त कार्य हेतु दायित्वबद्ध करते हुए समस्त परीक्षा केन्द्रों को आवंटित परीक्षार्थी संख्या के अनुरूप प्रति परीक्षा दिवस हेतु वांछित वीक्षकों की संख्या का विवरण तैयार करने हेतु निर्देशित करें ।
 - iii. तत्पश्चात् "शाला दर्पण" की सहायता से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र से संबंधित/समीपवर्ती राजकीय विद्यालय में कार्यरत स्टाफ के अनुरूप उपलब्ध वीक्षक संख्या का विवरण तैयार करावे । समस्त परीक्षा केन्द्रों हेतु केन्द्राधीक्षक/सहायक केन्द्राधीक्षक/पेपर कॉर्डिनेटर/माइक्रो ऑब्जर्वर के नियुक्ति आदेश समय पर जारी करते हुए केन्द्राधीक्षकों एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधानों की संयुक्त बैठक आयोजित कर बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्रों हेतु उचित संख्या में वीक्षकों की व्यवस्था एवं परीक्षा अवधि में समस्त विद्यालयों में समुचित समय प्रबंधन करते हुए शिक्षण व्यवस्था जारी रखे जाने बाबत निर्देशों की क्रियान्विति हेतु पाबन्द किया जाना सुनिश्चित करें ।
 - iv. निजी शिक्षण संस्थाओं/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं उन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परीक्षा केन्द्रों, जहाँ सीमित स्टाफ के कारण अन्य स्थानों से वीक्षक लगाए जाने हैं, ऐसे समस्त परीक्षा केन्द्रों पर वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय द्वारा यथासमय सम्पन्न कर लिया जाए । ग्रामीण क्षेत्रों में वीक्षकों की आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति उसी ब्लॉक के समीपवर्ती राजकीय विद्यालयों, जहाँ परीक्षा केन्द्र नहीं है, से की जाए । परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त वीक्षकों की ड्यूटी सम्पूर्ण परीक्षा दिवसों हेतु नियोजित करते हुए जिस दिन कम वीक्षकों की आवश्यकता हो, उक्त दिवस हेतु वीक्षक ड्यूटी से मुक्त समस्त शिक्षकों को उनके पदस्थापित विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें ।
 - v. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वीक्षक कार्य हेतु ड्यूटी अपरिहार्य स्थिति में लगाई जा सकती है । इस प्रकार की आपात स्थिति में केन्द्राधीक्षक द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित नॉडल विद्यालय के संस्था प्रधान से उचित समन्वय रखते हुए समीपवर्ती प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक की ड्यूटी वीक्षण कार्य हेतु लगाई जा सकती है, जिसका कार्यान्तर अनुमोदन संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से करवाया जाएगा । जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), जो कि पूर्व में उल्लेखित जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के सदस्य होते हैं, द्वारा उक्त बाबत समुचित निर्देश क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को प्रदान किए जाएंगे ।

8. मण्डल उपनिदेशक द्वारा समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन :- मण्डल उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त प्रदत्त निर्देशों की कठोरता से पालना एवं अक्षरशः क्रियान्विति सुनिश्चित की जाएगी। उक्त कार्य के प्रभावी प्रबोधन हेतु उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण परीक्षा अवधि के दौरान अधीनस्थ जिलों में बोर्ड परीक्षा केन्द्रों तथा विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते हुए केन्द्राधीक्षकों द्वारा वीक्षण ड्यूटी में बरती जा रही पारदर्शिता एवं संस्था प्रधानों द्वारा विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था के सुचारू संचालन की वस्तुस्थिति का परीक्षण किया जाएगा। किसी भी स्थिति में निर्देशों/नियमों की अवहेलना/उदासीनता पाई जाने पर तत्काल संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जानी सुनिश्चित करेंगे।

समस्त संबंधित उपरवर्णित निर्देशों की पालना एवं अक्षरशः क्रियान्विति की जानी सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों की पालना में कोताही बरतने वाले अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध सक्षम स्तर से नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(बी.एल. स्वर्णकार)

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 3 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 समस्त जिला कलक्टर।
- 5 समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
- 6 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 7 समस्त मण्डल उपनिदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा)।
- 8 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक - प्रथम/द्वितीय)।
- 9 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब - साइट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
- 10 वरिष्ठ सम्पादक "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- ✓ 11 स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
- 12 रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर